

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात

भारत सरकार के कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित कागजात द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने अनिवार्य है ।

1. सामान्य आदेश (General Orders)
2. अधिसूचनाएं (Notifications)
3. प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां (Press Communiques/Releases)
4. संविदाएं (Contracts)
5. करार (Agreements)
6. लाइसेन्स (Licence)
7. परमिट (Permits)
8. टेंडर के प्रारूप और नोटिस (Notice & Forms of Tenders)
9. संकल्प (Resolutions)
10. नियम (Rules)
11. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र (रिपोर्टों के अलावा)
(Official papers laid a house or both the houses of Parliament-other than reports)
12. संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें
(Administrative & other reports laid before a house or both the houses of Parliament)
13. प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा) (Administrative & other reports-(other than those laid before a house or both the houses of Parliament)

इन कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये कागजात द्विभाषी रूप में जारी हो रहे हैं ।
